

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक:प.1(9)गृह-7 / 2023

जयपुर, दिनांक - 7 JUN 2024

:: आज्ञा ::

राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंभा के आधार पर गृह रक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को कम्पनी कमाण्डर पद से उप समादेष्टा के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति तिथि	अभ्युक्ति
1.	श्री रामगोपाल	अनु० जाति	01.04.2023	-
2.	श्री रामसिंह	सामान्य	01.04.2023	-
3.	श्री ओमप्रकाश	सामान्य	01.07.2023	सेवानिवृत्ति दि० 31.07.2023
4.	श्री मान सिंह	सामान्य	07.12.2023	सेवानिवृत्ति दि० 30.04.2024
5.	श्री कमल सिंह	सामान्य	07.12.2023	-

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित सभी अधिकारी उनके पृथक से पदस्थापन आदेश जारी होने तक अपने नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं। सभी पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अथवा इसके पश्चात कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दाताराम)

संयुक्त शासन सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गृह रक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 5(543)डीपीसी/2023-24/51 दिनांक 09.05.2024 के क्रम में।
7. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग।
8. संबंधित अधिकारीगण मार्फत निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-7) विभाग

क्रमांक:प.1(9)गृह-7 / 2023

जयपुर, दिनांक 27 JUN 2024

:: आज्ञा ::

राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर गृह रक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उप समादेष्टा पद से समादेष्टा के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति तिथि	अभ्युक्ति
1.	श्री राजेन्द्र कुमार जांगिड़	सामान्य	01.04.2023	-
2.	श्री प्रदीप कुमार	अनु0 जाति	01.04.2023	-
3.	श्री चन्द्रभान बुनकर	अनु0 जाति	01.09.2023	मूल वरिष्ठता के कारण सामान्य वर्ग के पद विरुद्ध
4.	श्री रवि सिंह	सामान्य	07.12.2023	-
5.	श्री हरि सिंह यादव	सामान्य	07.12.2023	-
6.	श्री ललित बिहारी व्यास	सामान्य	07.12.2023	-
7.	श्री आनन्द कुमार	अनु0 जनजाति	07.12.2023	-

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित सभी अधिकारी उनके पृथक से पदस्थापन आदेश जारी होने तक अपने नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं। सभी पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अथवा इसके पश्चात कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

— ६० —
(दाताराम)

संयुक्त शासन सचिव
गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गृह रक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 5(543)डीपीसी/2023-24/51 दिनांक 09.05.2024 के क्रम में।
7. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग।
8. संबंधित अधिकारीगण मार्फत निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव